



-प्रेस नोट-

दिनांक: 14-09-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर एवं स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा डकैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए 05 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल, 35,500/- रुपये नकद, 02 फर्जी नम्बर प्लेट, 03 नाजायज चाकू, 08 मोबाइल फोन, 01 ब्रेसलेट (सफेद धातु) व 02 तमंचे मय 04 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद

घटना का विवरण:-

दिनांक 06.09.2026 को वादी श्री इल्ताफ पुत्र जाहिद निवासी गागलहेडी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दो मोटर साइकिल पर सवार करीब 03-04 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी की गाडी रुकवाकर वादी व वादी के साथियों के साथ थप्पड़ मुक्कों से मारपीट करते हुए रुपये व 03 मोबाइल छीन लेने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 363/26 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा विवचेना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 310(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर श्री प्रमोद कुमार सिंह /स्वाट टीम सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13.09.2026 को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की बड़कला से टोल प्लाजा की ओर जाने वाली सर्विस लेन पर रजापुर जाने वाले कट पर चैंकिंग के दौरान 02 मोटर साइकिलों पर सवार 05 अभियुक्तगण 1.समीर पुत्र अब्दुल हमीद निवासी दानिश कालोनी रसूलपुर थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर 2. सनव्वर पुत्र इलियास निवासी दानिश कालोनी रसूलपुर थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर 3. अनस पुत्र यूनस निवासी मोहल्ला छीपियान थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर 4. रिहान पुत्र इनाम निवासी माँण्डेबांस थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर 5. प्रिन्स पुत्र सूरजपाल निवासी बड़ली चौकी सीडकी थाना नागल जिला सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से थाना फतेहपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 363/26 धारा 310(2) बीएनएस से सम्बन्धित लूटे गये 35,500/- रुपये, 01 ब्रेसलेट, 03 मोबाइल (ITEL, पोको, वीवो कम्पनी), 02 तमंचे 315 बोर मय 04 कारतूस जिन्दा 315 बोर, 03 चाकू नाजायज व घटना में प्रयुक्त 02 स्पलैण्डर मोटर साइकिल क्रमश न0 UP11CQ6031 2. UP11BR4841 रंग काला, 02 फर्जी नम्बर प्लेट तथा 05 अन्य मोबाइल (SAMSUNG, एप्पल, मोटरोला, वीवो, SAMSUNG कम्पनी) जो अलग-अलग जगह (थाना क्षेत्र गागलहेडी, नागल) में लूटे गये थे बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदी के सम्बन्ध में मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(3)/345(3)/336(2)/317(5) बीएनएस व 3/4/25 ए एक्ट की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगणों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि करीब 01 सप्ताह पूर्व ग्राम मथाना के पास छोटा हाथी सवार तीन व्यक्तियों से ITEL, POCO व VIVO मोबाइल तथा चालक से ₹48,000/- लूटे थे। लूटे गये रुपये हमने आपस में बांट लिये थे, जिसमें से कुछ रुपये हमसे खर्च हो गये तथा शेष धनराशि व ब्रेसलेट हमसे आपने बरामद कर लिये हैं। अभियुक्तों ने यह भी बताया कि करीब 01 सप्ताह पूर्व लाखनौर पुल के पास स्कूटी सवार से Samsung व iPhone मोबाइल, करीब 20 दिन पूर्व भगवानपुर रोड, ग्राम बहेड़ी गुर्जर के जंगल में मोटरसाइकिल सवार से Samsung मोबाइल, तथा करीब 12-13 दिन पूर्व कलियार रोड, इमलीखेड़ा क्षेत्र में तमंचे के बल पर मोटरसाइकिल सवार से Vivo व Motorola मोबाइल लूटे थे।

पूछताछ में अभियुक्तों ने मोटरसाइकिल संख्या UP11BR4841 को कुछ दिन पूर्व कलियार शरीफ मजार से चोरी कर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर लूट की घटनाओं में प्रयोग करना स्वीकार किया। वहीं UP11CQ6031 के कागजात अभियुक्त प्रस्तुत नहीं कर सके तथा उसके चेसिस व इंजन नंबर घिसे/अपठनीय पाए गए।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. समीर पुत्र अब्दुल हमीद निवासी दानिश कालोनी रसूलपुर थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर ।
2. सनव्वर पुत्र इलियास निवासी दानिश कालोनी रसूलपुर थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर ।
3. अनस पुत्र यूनुस निवासी मोहल्ला छीपियान थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
4. रिहान पुत्र इनाम निवासी माँण्डेबांस थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर ।
5. प्रिन्स पुत्र सूरजपाल निवासी बडूली चौकी सीडकी थाना नागल जिला सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण:-

- 35500/- रुपये नकद
- 01 ब्रैसलेट (सफेद धातु)
- 08 मोबाइल फोन (ITEL, पोको, वीवो, SAMSUNG, एप्पल, मोटरोला, वीवो, SAMSUNG कम्पनी)
- 02 तमंचे 315 बोर
- 04 जिन्दा कारतूस
- 03 चाकू नाजायज
- 02 मोटर साइकिल स्पलैण्डर न0 UP11CQ6031 रंग काला व UP11BR4841 रंग काला
- 02 फर्जी नम्बर प्लेट

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

❖ अभियुक्त समीर का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 255/26 धारा 309(4) बीएनएस थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0 280/26 धारा 309(4) बीएनएस थाना नागल, सहारनपुर ।
3. मु0अ0सं0 363/26 धारा 309(4) 317(3)/345(3)/336(2)/317(5) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट फतेहपुर, स0पुर ।

❖ अभियुक्त सनव्वर का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 255/26 धारा 309(4) बीएनएस थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0 280/26 धारा 309(4) बीएनएस थाना नागल, सहारनपुर ।
3. मु0अ0सं0 363/26 धारा 309(4) 317(3)/345(3)/336(2)/317(5) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट फतेहपुर, स0पुर ।

❖ अभियुक्त अनस का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 553/25 धारा 103(1)/281 बीएनएस व 4/25 ए एक्ट थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0 255/26 धारा 309(4) बीएनएस थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर ।
3. मु0अ0सं0 280/26 धारा 309(4) बीएनएस थाना नागल, सहारनपुर ।
4. मु0अ0सं0 363/26 धारा 309(4) 317(3)/345(3)/336(2)/317(5) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट फतेहपुर, स0पुर ।

❖ अभियुक्त रिहान का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 255/26 धारा 309(4) बीएनएस थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0 280/26 धारा 309(4) बीएनएस थाना नागल, सहारनपुर ।
3. मु0अ0सं0 363/26 धारा 309(4) 317(3)/345(3)/336(2)/317(5) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट फतेहपुर, स0पुर ।

❖ अभियुक्त प्रिन्स का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 255/26 धारा 309(4) बीएनएस थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0 280/26 धारा 309(4) बीएनएस थाना नागल, सहारनपुर ।
3. मु0अ0सं0 363/26 धारा 309(4) 317(3)/345(3)/336(2)/317(5) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट फतेहपुर, स0पुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. निरीक्षक श्री राजीव कुमार स्वाट टीम सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री नीरज कुमार स्वाट टीम सहारनपुर
4. व0उ0नि0 श्री भूपेन्द्र शर्मा थाना फतेहपुर सहारनपुर
5. उ0नि0 श्री अमित सोनी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
6. उ0नि0 श्री बबलू कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
7. उ0नि0 श्री सजल कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
8. है0का0 456 बबलू राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
9. हे0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
10. हे0का0 231 रोहित चौधारी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
11. हे0का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
12. है0का0 अमरदीप स्वाट टीम सहारनपुर
13. है0का0 हरेन्द्र सिंह स्वाट टीम सहारनपुर
14. है0का0 अमित पवार स्वाट टीम सहारनपुर
15. है0का0 वसीम स्वाट टीम सहारनपुर
16. का0 अमित स्वाट टीम सहारनपुर
17. का0 817 अरुण थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
18. का0 1323 कुलदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



दिनांक 14.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तरप्रदेश

थाना सरसावा पुलिस की बड़ी सफलता — वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश!

चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, अभियुक्तों के कब्जे एवं निशांदाही पर चोरी की 09 मोटरसाइकिलें बरामद।

घटनाओं का विवरण:-

1. दिनांक 07.09.2026 को वादी श्री प्रवेश पुत्र गुलाब निवासी ग्राम मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल स्पेलन्डर रजि0 नं0 UP11 CW6743 को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0स0 293/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 देवकरण शर्मा द्वारा सम्पादित की जा रही है।
2. दिनांक 24.07.2026 को वादी श्री मुकेश कुमार पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम इब्राहिमी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल प्लेटिना रजि0 नं0- UP11 BD9896 को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0स0 238/2026 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 अतुल कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटनाओं के अनावरण व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। इसी के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री प्रवेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13.09.2026 को संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग के दौरान थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर वाहन चोर/अभियुक्तगण 1. नितिन कुमार उर्फ रोहित फौजी पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम झबीरण थाना सरसावा जिला सहारनपुर 2.वंश उर्फ राजा पुत्र धर्मेन्द्र निवासी ग्राम गदरहेडी थाना सरसावा जिला सहारनपुर 3.गौरव पुत्र मदन निवासी ग्राम झबीरण थाना सरसावा जिला सहारनपुर को नकुड-सरसावा मार्ग पर हाइवे पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे/निशांदाही पर उपरोक्त चोरी के मुकदमों से संबंधित चोरी की गयी 02 मोटरसाइकिल तथा 07 अन्य मोटरसाइकिल नकुड रोड पर ही बंद पड़े ईंट भट्टे के पुराने खंडहरों में छुपा कर रखी गयी थी। बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 3(5)317(2)/317(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी हैं। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम तीनों नशे के आदी हैं तथा नशे की लत को पूरा करने के लिए हम लोग मिलकर मोटरसाइकिल चोरी करते हैं। थाना सरसावा, थाना सदर बाजार, थाना चिलकाना क्षेत्र तथा हरियाणा राज्य सहित अन्य स्थानों से मौका पाकर मोटरसाइकिल चोरी करते हैं तथा चोरी की मोटरसाइकिलों को ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 6,000 से 8,000 में बेच देते थे। हम तीनों ने राधा स्वामी सत्संग व्यास, सरसावा से एक स्प्लेण्डर मोटरसाइकिल तथा पीजीआई पिलखनी अस्पताल से एक प्लेटिना मोटरसाइकिल चोरी की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य मोटरसाइकिलें भी अलग-अलग थाना क्षेत्रों से चोरी की थीं, जिनमें से कुछ मोटरसाइकिलों के चेसिस नम्बर एवं इंजन नम्बर हमने मिटा दिए थे, ताकि उनकी पहचान न हो सके और लगभग तीन-चार दिन पूर्व तेलीपुरा ठेके के पास चाबी लगी खड़ी मोटरसाइकिल भी चोरी की थी। आज भी हम चोरी की मोटरसाइकिलों को किसी ग्रामीण व्यक्ति को बेचने की फिराक में थे, तभी पुलिस टीम द्वारा हमें गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. नितिन कुमार उर्फ रोहित फौजी पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम झबीरण थाना सरसावा जिला सहारनपुर
2. वंश उर्फ राजा पुत्र धर्मेन्द्र निवासी ग्राम गदरहेडी थाना सरसावा जिला सहारनपुर
3. गौरव पुत्र मदन निवासी ग्राम झबीरण थाना सरसावा जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

1. मो0सा0 स्पलेण्डर प्लस रजि0 न0 UP11 CY 3752, चैसिस न0-MBLHAW230RHH47772, इंजन न0.- HA11E8RHH24563
2. मो0सा0 स्पलेण्डर प्लस रजि0 न0 UP 11 CM 6593, चैसिस न0 MBLHAW224PHDC6623, इंजन न0- HA11E7PHD86078 (मु0अ0सं0- 293/2026 सरसावा से सम्बन्धित)
3. मो0सा0 स्पलेण्डर प्लस रजि0 न0 UP11AC0031, चैसिस न0-MBLHA10EZAHH502253, इंजन न0-HA10EFAHH44178
4. मो0सा0 स्पलेण्डर प्लस रजि0 नंबर UP 11 CW 6743, चैसिस नंबर MBLHAW222RHJ53950 व इंजन न0- HA11E7RHJ56011
5. मो0सा0 सुपर स्पलेण्डर रजि0 न0 – HR 02U1654, चैसिस न0 MBLHJA05EE89K01408, इंजन न0- HA05EA89K01213
6. मो0सा0 सुपर स्पलेण्डर चैसिस न0 MBLHA05EMD9M0542, इंजन न0- HA05ECD9MA3977
7. मोटरसाईकिल स्पलेण्डर प्लस रजि0 न0 UP 11G 9371, चैसिस न0 01L20C19320
8. मोटरसाईकिल प्लेटिना रंग काला, इंजन नंबर व चैसिस नंबर धिसे हुये है। (मु0अ0सं0-238/2026 सरसावा से सम्बन्धित)
9. मोटरसाईकिल स्पलेण्डर रंग काला, इंजन नंबर व चैसिस नंबर धिसे हुये है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री देवकरण शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री रविंद्र कसाना थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. का0 2223 दुर्गेश कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
5. का0 2431 दीपक कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
6. रि0का0 2581 राहुल कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
7. का0 2330 सचिन कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।



दिनांक 14.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना मण्डी पुलिस द्वारा नाजायज चाकू रखने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया
गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध अस्लाह रखने वाले व तस्करी की रोकथाम तथा इस कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.09.2026 को थाना मण्डी पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान 01 शातिर अभियुक्त **शोऐब उर्फ तोरु पुत्र नाजिम निवासी गली न0 - 07 निकट जमीर मस्जिद रहमानी चौक थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर** को बाबा लालदास रोड पर कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना मण्डी पर **मु0अ0सं0 472/26 धारा 4/25 आयुध अधिनियम** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

शोऐब उर्फ तोरु पुत्र नाजिम निवासी गली न0 - 07 निकट जमीर मस्जिद रहमानी चौक थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

➤ 01 अवैध चाकू

अभियुक्त शोऐब उर्फ तोरु उपरोक्त का अपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 277/2024 धारा 304(2), 317(2) बीएनएस थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 68/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 472/2026 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना मण्डी जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सुधीर कुमार थाना मण्डी जिला सहारनपुर।
3. का0 1803 राहुल कुमार थाना मण्डी जिला सहारनपुर।
4. का0 1222 बलविन्द्र कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 14.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमें में 01 वांछित
अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरण:-

दिनांक 19.03.2026 को वादिया श्रीमती मनीषा पत्नि बन्टीतेश्वर निवासी मौ0 मुंगागढ़ थाना मण्डी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. सागर पुत्र मेसोराम 2. छोटा पुत्र मेसोराम निवासीगण दुर्गापुरी कलोनी थाना मण्डी सहारनपुर व तीन कारो सवार व्यक्तियों द्वारा एक राय होकर वादिया के घर में घुसकर लाठी डण्डे व धारदार हथियार लेकर गाली गलौच कर मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देना व तोड़ फोड़ करने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 105/2026 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/333/324(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में 1. सौरभ कागड़ा पुत्र नीरज कुमार निवासी मौहल्ला मुंगागढ़ निकट बाल्मीकि मन्दिर बेहट रोड थाना मण्डी जनपद सहारनपुर, 2. दीपक पुत्र नामालूम 3. दीपू पुत्र नामालूम निवासीगण यमुनानगर हरियाणा 4. रोहित पुत्र घनश्यामदास निवासी म0न0 06/3264 मौहल्ला छिपीयान थाना मण्डी जनपद सहारनपुर 5. अर्जुन पुत्र मोतीलाल उर्फ मणि निवासी मौ0 चौधरी कालोनी गली न0- 03 थाना सिटी यमुनानगर जनपद यमुनानगर हरियाणा का नाम प्रकाश में आया है। अभियुक्तगण सागर, सौरभ व सावन उर्फ छोटा को थाना मण्डी पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.09.2026 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान उपरोक्त मुकदमें में प्रकाश में आये अभियुक्त अर्जुन पुत्र मोतीलाल उर्फ मणि निवासी मौ0 चौधरी कालोनी गली न0- 03 थाना सिटी यमुनानगर जनपद यमुनानगर हरियाणा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अर्जुन पुत्र मोतीलाल उर्फ मणि निवासी मौ0 चौधरी कालोनी गली न0- 03 थाना सिटी यमुनानगर जनपद यमुनानगर हरियाणा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री प्रतापत्त शर्मा थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।
3. रि0का0 1176 राहुल कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।



दिनांक: 14.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरण:-

अवगत कराना है कि दिनांक 13.09.2026 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त मौ० अफजल पुत्र हाजी अकबर निवासी आज़ाद कालोनी, गली नं० 6, निकट रहमत मस्जिद, थाना मण्डी सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु०अ०सं० 470/2026 धारा 65(2)/351(3)बीएनएस व 5(m)/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.09.2026 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट के मुकदमे में वांछित मौ० अफजल पुत्र हाजी अकबर निवासी आज़ाद कालोनी, गली नं० 6, निकट रहमत मस्जिद, थाना मण्डी सहारनपुर को आज़ाद कालोनी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मौ० अफजल पुत्र हाजी अकबर निवासी आज़ाद कालोनी, गली नं० 6, निकट रहमत मस्जिद, थाना मण्डी सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्र०नि० श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० श्री अय्युब अली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. रि०का० 1245 अंशुल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
4. रि०का० 1249 यशपाल थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 14.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री इन्द्रेण कुमार के कुशल नेतृत्व में 02 वारण्टी अभियुक्तगण

1. राशिद पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम बुढनपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर (सम्बन्धित वाद सं० 30964/22 धारा 4/21 खान व खनिज अधि०)
2. सुरेश पुत्र दाता राम निवासी ग्राम ज्वासाखेडी थाना गंगोह जिला सहारनपुर (सम्बन्धित वाद सं० 500072/15 धारा मु०अ०सं० 230/14 धारा 135 विधुत अधि०) को उनके मसकन से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. राशिद पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम बुढनपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
2. सुरेश पुत्र दाता राम निवासी ग्राम ज्वासाखेडी थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ०नि० श्री सोहनवीर सिंह थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
2. उ०नि० श्री रानू चौधरी थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
3. है०का० 259 दीपक सागर थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
4. रि०का० 918 तन्जील हुसेन थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
5. रि०का० 987 सनोज कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर।



दिनांक: 14.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/ वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.09.2026 को थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभि० संदीप पुत्र सुमेरचन्द निवासी खुजनावर माजरी थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर (सम्बन्धित वाद संख्या/एस०टी०संख्या 1203/21 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पोक्सो एक्ट, दिनांक 17/09/2026 को माननीय श्रीमान एडीजे 15 पोक्सो कोर्ट जिला सहारनपुर) को कस्बा छूटमलपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

संदीप पुत्र सुमेरचन्द निवासी खुजनावर माजरी थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ०नि० श्री जुगेन्द्र सिंह राणाथाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।



दिनांक: 14-09-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे चोरी किये गये 02 बकरे बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 14.09.2026 को वादी श्री असरफ पुत्र वशीर निवासी ग्राम बाबैल बुजुर्ग थाना बेहट जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के लाल व सफेद रंग के दो बकरे चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0 381/26 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना बेहट श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में प्रकाश में आये **अभियुक्त दानिश पुत्र अकबर निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को ग्राम भोजेवाला चौराहे से रीढ़ी मोहउद्दीनपुर जाने वाले रास्ते के बराबर वाले आम के बाग से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी किये गये 02 बकरे रंग लाल व सफेद बरामद हुये। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

दानिश पुत्र अकबर निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 02 बकरे रंग लाल व सफेद

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 545/2021 धारा 398/401 भावि थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 196/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 478/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 67/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 437/2023 धारा 379/411 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
6. मु0अ0सं0 56/2024 धारा 414/465 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
7. मु0अ0सं0 394/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
8. मु0अ0सं0 497/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बेहट, जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 264 अनिल कुमार, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर।
3. का0 2183 संजू सेम थाना बेहट, जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 14.09.2026

-प्रेस नोट-
ऑपरेशन सवेरा

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करो के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही

थाना बेहट पुलिस का मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 शातिर नशा तस्कर

अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से कुल 300 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में **“ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”** अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान **02 नशा तस्कर अभियुक्तगण 1. शौकीन पुत्र मतलूब निवासी ग्राम लोधीपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर 2. विशाल पुत्र नेमचन्द निवासी ग्राम मिल्को थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को गन्देवड चिलकाना मार्ग से भोजपुर जाने वाले कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 300 ग्राम अवैध चरस (शौकीन उपरोक्त से 150 ग्राम, विशाल से 150 ग्राम) अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0सं0 382/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. शौकीन पुत्र मतलूब निवासी ग्राम लोधीपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
2. विशाल पुत्र नेमचन्द निवासी ग्राम मिल्को थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

➤ कुल 300 ग्राम अवैध चरस

अभियुक्त शौकीन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 314/2021 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 268/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 107/2025 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 185/2020 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त विशाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 194/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री धीरज सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।
2. हे0का0 902 गोविन्द सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।
3. हे0का0 523 पुनित कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।
4. का0 71 ब्रजवीर राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 14.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

सहारनपुर अग्निशमन सेवा को मिली अत्याधुनिक सौगात

 18,000 लीटर क्षमता वाले नए फायर टैंडर से बढ़ी जनपद की अग्निशमन क्षमता

 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अभिनन्दन सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री प्रताप सिंह तथा अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा नवीन फायर टैंडर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जनपद सहारनपुर की अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जनपद को एक नया अत्याधुनिक फायर टैंडर उपलब्ध कराया गया है।

 18,000 लीटर जल क्षमता वाले इस अत्याधुनिक फायर टैंडर की अग्निशमन प्रणाली लगभग 3,200 लीटर प्रति मिनट पानी प्रक्षेपित करने की क्षमता रखती है। उच्च क्षमता वाले इस फायर टैंडर के उपलब्ध होने से बड़े अग्निकांडों के दौरान आग पर त्वरित एवं प्रभावी ढंग से काबू पाने में अग्निशमन विभाग को महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।

 जनपद सहारनपुर में बड़ी संख्या में औद्योगिक क्षेत्र एवं लकड़ी के बड़े-बड़े कारखाने हैं, जहां आगजनी की घटनाओं की संभावना बनी रहती है। ऐसी परिस्थितियों में उच्च क्षमता वाले फायर टैंडर की उपलब्धता से जनपद की अग्निशमन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा आपातकालीन परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्य और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।

 नवीन एवं आधुनिक अग्निशमन उपकरण उपलब्ध होने से मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं पूरी फायर सर्विस टीम की कार्यक्षमता एवं दक्षता में और वृद्धि होगी, साथ ही अग्निशमन कर्मियों का मनोबल भी मजबूत होगा।

 जनपद की अग्निशमन व्यवस्था को लगातार आधुनिक एवं सुदृढ़ बनाने के लिए भविष्य में भी मुख्यालय स्तर से नवीनतम उपकरण एवं संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयास जारी रहेंगे, ताकि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में जन-धन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

 आधुनिक संसाधन | बेहतर तैयारी | त्वरित कार्रवाई



सुरक्षित सहारनपुर — हमारी प्राथमिकता





दिनांक 14.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना मण्डी पुलिस द्वारा चोरी की घटना में वांछित 01 शातिर अभियुक्त को किया गया
गिरफ्तार

घटना का विवरण:-

दिनांक 24.02.2026 को वादी मुरसलीन पुत्र कुरबान निवासी ग्राम पठेड बरथा कायस्थ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाईकिल हीरो होण्डा पंजीकरण संख्या HR02-1301 को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 68/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण 1.शोऐब उर्फ तोरु पुत्र नाजिम निवासी गली न0 07 निकट जमीर मस्जिद रहमानी चौक थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर 2.सावेज पुत्र इमरान निवास मूसा पैलेस के पीछे एकता कालोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर का नाम प्रकाश में आया। दिनांक 06.03.2026 को अभियुक्त शोऐब उपरोक्त को थाना मण्डी पुलिस द्वारा चोरी गयी मोटर साइकिल (रजि0 न0 - HR02W1301) के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मण्डी श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.09.2026 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा गस्त व चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहे अभियुक्त सावेज पुत्र इमरान निवासी मूसा पैलेस के पीछे एकता कालोनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर को एकता कालोनी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सावेज पुत्र इमरान निवासी मूसा पैलेस के पीछे एकता कालोनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त सावेज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 243/2024 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 068/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. का0 2528 अनिल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
4. रि0का0 1235 रितिक कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।



दिनांक 14.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना मण्डी पुलिस द्वारा चोरी की घटना में वांछित 01 शातिर अभियुक्त को किया गया
गिरफ्तार

घटना का विवरण:-

दिनांक 24.02.2026 को वादी मुरसलीन पुत्र कुरबान निवासी ग्राम पठेड बरथा कायस्थ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाईकिल हीरो होण्डा पंजीकरण संख्या HR02-1301 को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 68/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण 1.शोऐब उर्फ तोरु पुत्र नाजिम निवासी गली न0 07 निकट जमीर मस्जिद रहमानी चौक थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर 2.सावेज पुत्र इमरान निवास मूसा पैलेस के पीछे एकता कालोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर का नाम प्रकाश में आया। दिनांक 06.03.2026 को अभियुक्त शोऐब उपरोक्त को थाना मण्डी पुलिस द्वारा चोरी गयी मोटर साइकिल (रजि0 न0 - HR02W1301) के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मण्डी श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.09.2026 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा गस्त व चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहे अभियुक्त सावेज पुत्र इमरान निवासी मूसा पैलेस के पीछे एकता कालोनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर को एकता कालोनी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सावेज पुत्र इमरान निवासी मूसा पैलेस के पीछे एकता कालोनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त सावेज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 243/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 068/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. का0 2528 अनिल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
4. रि0का0 1235 रितिक कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।



दिनांक - 14.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध अस्लाह रखने वाले व तस्करी की रोकथाम तथा इस कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी श्री प्रदीप कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त **अश्वनी उर्फ काका पुत्र मंजीत निवासी किशन हलवाई वाली गली बेरी बागा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को जिला अस्पताल के पीछे पानी के पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 227/26 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त अश्वनी उर्फ काका उपरोक्त थाना जनकपुरी का हिस्ट्रीशीटर (50-A) भी है। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अश्वनी उर्फ काका पुत्र मंजीत निवासी किशन हलवाई वाली गली बेरी बागा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 चाकू नाजायज

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 101/04 धारा थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 286/05 धारा 294 भादवि थाना जनकपुरी सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 110/06 धारा थाना जनकपुरी सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 84/07 धारा थाना जनकपुरी सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 138/08 धारा थाना सदर बाजार सहारनपुर।
6. मु0अ0सं0 124/09 धारा थाना जनकपुरी सहारनपुर।
7. मु0अ0सं0 60/11 धारा 60 आब0अधि थाना जनकपुरी सहारनपुर।
8. मु0अ0सं0 63/12 धारा 110जी सीआरपीसी थाना जनकपुरी सहारनपुर।
9. मु0अ0सं0 88/14 धारा 110जी सीआरपीसी थाना जनकपुरी सहारनपुर।
10. मु0अ0सं0 21/22 धारा 60(1) आब0अधि0 थाना जनकपुरी सहारनपुर।
11. मु0अ0सं0 60/24 धारा 60 आब0अधि थाना जनकपुरी सहारनपुर।
12. मु0अ0सं0 161/25 धारा 305(ए)/317(2)/317(5) बीएनएस थाना को0नगर सहारनपुर।
13. मु0अ0सं0 227/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जनकपुरी सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री अभिषेक कुशवाह, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
2. का0 1751 अजय कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
3. रि0कां0 1038 रोबिन, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।



दिनांक - 14.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर
चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से

अवगत कराना है कि दिनांक 13.09.2026 को वादी श्री सतीश कुमार पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम चोरादेव थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत रुचिन पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम चोरादेव थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 256/26 धारा 305(a) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी / नकबजनी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13.09.2026 को थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर/अभियुक्त 1. रुचिन पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम चोरादेव थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ग्राम चोरादेव गोशाला के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं नशे का आदि हूँ जिस कारण मैं चोरी करता हूँ। पहले भी मैं बाईक चोरी में जेल गया था। मैंने अपने भाई के घर से एक जोड़ी सैम्पल व दो जोड़ी चुकटी (बिछिया) नयी तीन चुकटी (बिछिया) पुरानी उसके बाद में छिप गया था अन्धेरा होने के बाद मैं इन्हे बैचने जा रहा था आपने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

रुचिन पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम चोरादेव थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त रुचिन का आपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0सं0- 263/2024 धारा 303(2)/317(2)बीएनएस थाना गागलहेडी जनपद सा0पुर

बरामदगी का विवरण -

- 01 जोड़ी पायल
- 02 जोड़ी नयी चुकटी (बिछुए)
- 02 चुकटी पुरानी (बिछिया)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 अजय कसाना थाना गागलहेडी सहारनपुर।
2. हे0का0 317 सुनिल कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:-14-09-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम यादव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.09.2026 को थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त वारण्टी **नवीन कुमार पुत्र नाथीराम नि0 ग्राम लाखनौर थाना नांगल सहारनपुर** (सम्बन्धित वाद सं0 85/2010 धारा 60 आबकारी अधि0) को ग्राम लाखनौर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

नवीन कुमार पुत्र नाथीराम नि0 ग्राम लाखनौर थाना नांगल सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम यादव थाना नांगल जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 योगेन्द्र सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. है0का0 1045 कमल किशोर थाना नांगल जिला सहारनपुर



दिनांक 14-09-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट जनपद सहारनपुर द्वारा कुकर्म के मुकदमें में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 51,000 रुपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा:-

अवगत कराना है, कि दिनांक 18.06.2023 को वादी राजकुमार पुत्र कुशलपाल निवासी ग्राम बडगांव थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर पर अभियुक्त 1- विकास पुत्र राजेन्द्र बोस निवासी ग्राम भायला थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा प्रार्थी को शराब पिलाकर प्रार्थी के साथ मारपीट कर कुकर्म करना व जाति सूचक शब्दों के प्रयोग करने की सूचना पर मु0अ0सं0-356/2023 धारा- 323, 377 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0- 1887/2023 पर माननीय न्यायालय स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 14.09.2026 को अभियुक्त विकास पुत्र राजेन्द्र बोस निवासी ग्राम भायला थाना देवबन्द सहारनपुर को थाना देवबंद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 356/2023 धारा-323, 377 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 51,000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता- (डी0जी0सी0) श्री राकेश सहल।

विवेचक- क्षेत्राधिकारी श्री रामकरण।

पैरोकार- का0 2368 उत्तम सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।